न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं अपीलीय भरण–पोषण न्यायाधिकरण अजमेर

अपील संख्या 26 / 2022

1.श्री जितेन्द्र सिंह उम्र 49 पुत्र श्री गोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी गैलेक्सी स्कूल के पास, मेती नगर सेन्दडा रोड, ब्यावर जिला–अजमेर (राज0)
2.श्रीमती रेखा उम्र 42 वर्ष पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह जाति राजपुत निवासी गैलेक्सी स्कूल के पास मोती नगर सेन्दडा रोड, ब्यावर जिला–अजमेर (राज0) .....अपीलान्ट्स

बनाम

श्री गोपाल सिंह राजावत उम्र 80 वर्ष पुत्र श्री कानसिंह राजपूत जाति राजपूत निवासी गैलेक्सी स्कूल के पास, मोतीनगर, सेन्दडा रोड, ब्यावर जिला–अजमेर(राज0)
.....रेस्पोडेन्ट

माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के तहत अपील विरूद्ध आक्षेपित निर्णय दिनांक 11.02.2022 द्वारा न्यायालय भरण पोषण अधिकरण (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) ब्यावर जिला अजमेर

आदेश

दिनांक :– 31.08.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 4 (1) (क) (ख) व 5 सपठित धारा 22 एवं 23 के तहत न्यायालय भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, ब्यावर, जिला–अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, ब्यावर, द्वारा दिनांक 11.02.2022 को आदेश पारित किया कि "प्रकरण में पत्रावली व पुलिस जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन पाया कि अप्रार्थी जितेन्द्र सिंह द्वारा परिवादी गोपाल सिंह का भरण पोषण नहीं किया जा रहा है, और ना ही किसी प्राकर की कोई राशि परिवादी को भरण पोषण हेतु दिये जा रहें है।, जिससे की प्रार्थी अपना भरण पोषण कर सकें। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि परिवादी एक वरिष्ठ नागरिक है, तथा अक्सर बीमार रहता है। अतः अप्रार्थी नं0 1 जितेन्द्र सिंह अपने पिता गोपाल सिंह राजावत पुत्र श्री कानसिंह राजपूत उम्र 79 साल जाति राजपुत निवासी गैलेक्सी स्कूल के पास, मोतीनगर, सेंदडा रोड, ब्यावर को सम्मान पूर्वक भरण पोषण हेतु रू0 10,000 / – अक्षरे दस हजार रूपये प्रतिमाह संदाय करेंगें और प्रार्थी के बैंक खाते में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक निश्चित रूप से जमा करायेंगे, साथ ही अप्रार्थी जितेन्द्र सिंह को हिदायत दी जाती है कि वे प्रार्थी के साथ किसी की कोई गाली ग्लौच व मारपीट नहीं करेंगा तथा देखरेख, सार संभाल करेगा। व रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करते हुए प्रार्थी की बीमारी में होने वाले दवाई आदि का खर्चा स्वंय अप्रार्थी संख्या 01 वहन करेगा। यह आदेश तुरन्त प्रभावशील होगा।" इस आदेश से असन्तुष्ट होकर अप्रार्थीगण (अपीलान्ट्स) द्वारा अधिनस्थ अधिकरण, उपखण्ड मजिस्ट्रेट ब्यावर जिला अजमेर के आक्षेपित निर्णय को अपास्त करने की इस्तदुआ के यह अपील प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा उपस्थित आकर अपना जवाब पेश किया गया तथा जवाब को ही अपनी बहस मानी जाने का निवेदन किया गया। तत्पश्चात उपस्थित को सुना गया।

अपीलार्थीगण द्वारा अपील तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि अधिनस्थ अधिकरण में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में श्रीमती रेखा पत्नि जितेन्द्र सिंह को अप्रार्थी संख्या 02 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया किन्तु अधिकरण द्वारा उसको कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। अपीलार्थी संख्या 01 का यह भी कथन है कि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 को रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है परन्तु अपीलार्थी संख्या 01 के पास कथित नोटिस कभी आया ही नहीं, नोटिस लेने से इन्कार करने के कथन सर्वथा मिथ्या है। अधिनस्थ अधिकरण द्वारा बिना अप्रार्थीगण(अपीलान्ट्स) को सुनवाई किये एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रत्यर्थी के अपीलार्थीगण के अतिरिक्त एक पुत्री उषाकिरण पत्नी स्व0 गजेन्द्र सिंह हाल निवासी ब्यावर जो विद्युत विरण निगम लि0 में यूडीसी के पद पर कार्यरत है, जिसको प्रतिमाह 70–80 हजार सैलेरी मिलती है। इसके अलावा प्रत्यर्थी के एक अन्य पुत्र गजेन्द्र सिंह, जिसका स्वर्गवास हो चुका है, परन्तु उसके वारिसान में उसकी पत्नी श्रीमती इन्द्राकंवर एवं पुत्र हेमन्त सिंह है, जो प्रत्यर्थी के साथ ही रहते है। श्रीमती इन्द्रकंवर वरिष्ठ अध्यापिका है, जिसकों करीब 80,000/– रूपये प्रतिमाह सैलेरी मिलती है। प्रत्यर्थी स्वंय राजस्थान रोडवेज से रिटायर्ड कर्मचारी है जिसको 27,147/– रूपये प्रतिमाह पेन्शन प्राप्त होती है जो सीधे प्रत्यर्थी के बैंक खाते में जमा होती है। इसके अतिरिक्त एक अन्य सम्पति से 10,000/– रूपये प्रति माह आय प्राप्त होती है। आवेदक को अपनी बुनियादी आवश्यकताओं, भोजन, आवास, कपडा एवं स्वास्थय की देखभाल करने हेतु आवश्यक राशि से अधिक राशि पूर्व से ही प्राप्त हो रहीं है। प्रत्यर्थी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वंय सक्षम है। अपीलार्थी संख्या 1 जिस भाग में स्कूल का संचालन कर रहा है तथा अपनी पत्नी के साथ निवास कर रहा है, उसमें किरायेदार की हैसियत से निवास कर रहा है। प्रत्यर्थी द्वारा पारिवारिक समझोते के तहत अपीलार्थी से एक लाख रूपये एकमुश्त प्राप्त किये गये है। प्रत्यर्थी द्वारा इन समस्त तथ्यों को माननीय अधिनस्थ न्यायालय में छुपाया गया है। यदि प्रत्यर्थी स्वयं के भरण पोषण बाबत वास्तव में असक्षम होता तो भी उक्त अधिनियम में यह प्रावधान है कि भरण पोषण की राशि आवेदक के सभी वारिसान की संख्या के अनुसार समान रूप से विभाजित की जायेगी। प्रत्यर्थी द्वारा जानबुझ कर केवल अपीलार्थी संख्या 01 को हैरान परेशान करने के उद्धेश्य से समस्त तथ्यों को अधिनस्थ अधिकरण से छुपाते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है। अधिनस्थ अधिकरण द्वारा बिना अपीलार्थीगण को सुने, एवं बिना समस्त तथ्यों, अपीलार्थीगण की आय के स्त्रोत की जानकारी किये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो काबिले खारिज है। अपीलार्थी ने आगे कथन किया कि अधिनस्थ अधिकरण द्वारा प्रावधान होने के बावजूद पारित आदेश की प्रति भी वैयक्तिक रूप से या डाक द्वारा अपीलान्ट्स को उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिससे अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 29.3.2022 को प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्था को कहा गया कि अब तुम्हे 10,000/– रूपये प्रतिमाह मुझे देने होगें, क्यों कि एस.डी.ओ साहब ने ने मेरे पैसे बांध दिये है। इस जानकारी उपरान्त अपीलार्थी द्वारा आक्षेपित आदेश की नकल प्राप्त कर अजमेर आकर अधिवक्ता से सम्पर्क कर जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। फिर भी न्यायालय यदि इस अपील को प्रस्तुत करने में देरी मानती है तो वह देरी सदभाविक है, क्योंकि अधिनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलाधीन आदेश की प्रति अधिनियम में विहित आज्ञापक प्रावधानों की पालना में अपीलार्थी को नहीं भिजवाई गई। लिहाजा देरी को कन्डोन किया

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

जाना उचित एवं आवश्यक है इसके लिए अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आक्षेपित आदेश अपीलार्थीगण को नोटिस जारी कर सुनवाई किये, समस्त तथ्यों पर गौर किये बिना सरसरी तौर पर विधि की पूर्ण प्रकिया का पालन किये बिना पारित किया गया है, जो काबिले खारिज है। लिहाजा अधिनस्थ अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट ब्यावर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2022 को न्यायहित में अपास्त फरमाया जावें।

वर वक्त सुनवाई रेस्पोडेन्ट उपस्थित नहीं आये। उनके पूर्व कथन के मुताबिक उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब को ही उनकी बहस माना गया। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपील बाबत प्रस्तुत जवाब में अपील तथ्यों बाबत मुख्यतः निवेदन किया गया है कि रेस्पोडेन्ट 80 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक है, प्रत्यर्थी की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है। वह बीपी, शुगर व अन्य बीमारियों से पीडित एवं ग्रस्त है। प्रत्यर्थी का एक पुत्र अपीलार्थी संख्या 01 है जिसका विवाह अपीलार्थी संख्या 02 से किया गया है। दूसरे पुत्र का स्वर्गवास हो चुका है। प्रत्यर्थी द्वारा अपनी पत्नि के नाम से सेंदडा रोड, ब्यावर में 150–150 वर्ग गज के दो प्लाट लिये थे, जिसमें से एक प्लाट पर निर्माण करवाकर अपीलार्थी नं0 01 को गैलेक्सी स्कूल चलाने के लिए दे रखा है तथा एक प्लॉट पर अपना मकान बना रखा है। इसी मकान में निवास कर रहा है। दूसरे पुत्र की विधवा पत्नि भी प्रत्यर्थी के साथ उसके मकान में ही निवास कर रही है। वह ही प्रत्यर्थी की सार संभाल करती है। प्रत्यर्थी बमुश्किल अपना पालन पोषण कर पा रहा है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी के उक्त सम्पूर्ण मकान व स्कूल वाली जायदाद को हडपना चाहते है। इसी बदनियति से प्रत्यर्थी के साथ आये दिन लडाई झगडा, मारपीट, नाजायज परेशान करते रहते है। अपीलार्थी नम्बर 02 प्रत्यर्थी को बार–बार झूठे मुकदमों में फॅसाने की धमकियॉ देती रहती है, पूर्व में भी वह प्रत्यर्थी पर झूठे आरोप लगाकर फॅसा चुकी है। प्रत्यर्थी द्वारा ग्राम बोरावड तहसील जैतारण जिला पाली स्थित जमीन अपनी विधवा पुत्रवधु के नाम कर दी तभी से अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी से रंजिश रखते है। प्रत्यर्थी की पुत्री भी विधवा है उसकी पुत्री के विवाह की जिम्मेवारी भी प्रत्यर्थी पर है। अपीलान्ट संख्या संख्या 01 अपनी बहन के प्रति भी कोई दायित्व का निर्वहन नहीं करता है। अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी को उसके मकान व स्कूल वाली जायदाद छोडकर ब्यावर से चले जाने के लिए मजबूर कर रहें है। आये दिन प्रत्यर्थी एवं विधवा पुत्रवधु को जान से मारने की धमकी देकर एवं मानसिक रूप से प्रताडित करते आ रहें है। अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी द्वारा जो स्कूल खुलवाकर दिया गया उससे अपीलार्थी को प्रति माह पॉच लाख रूपये से अधिक की आय होती है। अधिनस्थ अधिकरण द्वारा पारित 10,000/– रू0 प्रतिमाह दिये जाने के आदेश की भी अपीलार्थी संख्या 01 द्वारा पालना नहीं की जा रहीं है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सव्यय निरस्त फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत कायम रखा जाकर उसकी पालना हेतु अपीलार्थी को आदेशित एवं पाबंद फरमाने की कृपा करावें।

हमने अपीलान्ट्स की अपील, सुनवाई दौरान वयक्त कथनों, रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब, अपीलाधीन आदेश का रेकार्ड पत्रावली के अवलोकन, मनन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

1. अधिनस्थ अधिकरण द्वारा अपार्थी संख्या दो (अपीलार्थी संख्या 02) को प्रकरण बाबत जरिये नोटिस सूचित नहीं किया गया है।
2. आक्षेपित आदेश अप्रार्थीगण(अपीलार्थीगण) को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसार प्रदान किये बिना तथा समस्त तथ्यों पर गौर किये बिना सरसरी तौर पर पारित किया जाना प्रकट आया है।

चूंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पूर्ण न्यायिक प्रकिया का पालन नहीं किया गया है। लिहाजा अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.2.2022

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते अजमेर

अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ अधिकरण (उपखण्ड मजिस्ट्रेट, ब्यावर) को निम्न निर्देश के प्रतिप्रेषित किया जाता है कि :–

1. दोनो पक्ष को सुनवाई का पुनः अवसर प्रदान किया जावें।
2. उभय पक्ष द्वारा व्यक्त कथनों बाबत वस्तुस्थिति की जॉच करवाई जावें।
3. बाद जांच वास्तविक प्रकट तथ्यों के आधार पर माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 एवं राजस्थान सरकार माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम, 2010 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप गुणावगुण पर 30 दिवस में निर्णय पारित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण
अजमेर